संख्या सा–3-1272/दस –3-56

प्रेषक

श्री अदित्य भूषण पाण्डे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक: लखनऊ, 26 अगस्त, 1977।

विषय:—भूतपूर्व सैनिकों का सिविल पदों पर पुनर्योजन किये जाने की दशा में वेतन निर्धारण।

महोदय,

वित्त (समान्य-3) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विभिन्न कार्यालयों में पुनर्योजित सेवा निवृत्त सैनिकों के वेतन निर्धारण के मामले अब तक शासन के आदेश से भेजे जाते रहे है। इस प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लग जाता है। जिससे पुनर्योजित सैनिको को वेतन प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा हर स्तर पर परिहार्य कार्य भी बढ़ता है। निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण परिषद्, तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला सैनिक परिषद् द्वारा उनके कार्यालयों में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिनिधायन शासनादेश संख्या–101/48–76–सै0क0 दिनांक 8–6–1976 में किया जा चुका है। शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि आपके तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में पुनर्योजित किये गये या किये जाने वाले सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों का वेतन निर्धारण निम्न नीति के आधार पर आपके द्वारा ही किया जाएगा:—

(1) जहां पुनर्योजन उस पद पर हो जिसका कि वेतनमान उस पद से उच्चतर है जिससे कि सम्बन्धित व्यक्ति सेवा निवृत्त हुआ था:—समस्त निवृत्तिक लाभको शामिल करते हुए पुनयोजन पर वेतन सेवागत अवस्था के अन्तिम वेतन से एक क्रम (Stage) ऊपर।

(2) जहां पुनर्योजन उस पद पर हो जिसका कि वेतनमान उस पद के समान हो जिस पद से सम्बन्धित व्यक्ति सेवा निवृत्त हुआ हो पुनर्योजन पर वेतन उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित किया जायगा केवल अन्तर यह होगा कि पुनर्योजन वेतन उसी क्रम पर होगा जिस पर सम्बन्धित व्यक्ति सेना सेवा काल के अन्त में वेतन पाता रहा हो। निवृत्तिक लाभों का समायोजन उसी प्रकार होगा जैसाकि ऊपर मद संख्या (1) पर कहा गया है।

(3) जहां पुनर्योजन उस पद पर हो जिसका कि वेतनमान उस पद से कम हो जिस पद से सम्बन्धित व्यक्ति सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो–सेवाकाल के अन्तिम वेतन या पुनर्योजन पद के वेतनमान के उच्चतम, इनमें जो भी कम हो, उसके बराबर समस्त निवृत्तिक लाभों को उसी प्रकार शामिल करते हुये जैसा कि मद संख्या –1 पर वर्णित है।

(4) सारे निवृत्तिक लाभों में पेंशन, जैसे कि राशिकरण, यदि कोई हो, के पूर्व भी डेथ–कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी या कान्ट्रीब्यूट्री प्रावीडेन्ट पेंशन फण्ड मे सरकारी अंशदान/दोनों में से जो भी स्वीकृत हुआ हो, केवल बराबर मूल्य की पेंशन सम्मिलित है। उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 526 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण होगा।

(2) पुनर्योजन पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को निर्धारित दर पर उतना महगाई भत्ता देय होगा जो कि ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को देय होता हैजिसका कि वेतन पुनर्योजित व्यक्ति के पुनर्योजन वेतन और सकल पेंशन के जोड़ के बराबर हो। इनको सेवा से पेन्शन पर देय मंहगाई भत्ता नहीं मिलेगा

(3) ये व्यक्ति अस्थायी कर्मचारी की तरह माने जायेंगे और इनको पुनर्योजन की अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धियां मिलती रहेंगी।

(4) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये, यदि अन्यथा अनुमन्य हो, गिनी जायेगी। अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती है।

(5) यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नही होंगे जिनकी नियुक्ति संविदा (Contract) पर की जायगी।

(6) कुछ वेतन निर्धारण के सिद्धान्त मार्ग दर्शन के लिये संलग्न है।

मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप कृपया तदनुसार कार्यवाही करें और शासन के आदेशार्थ केवल वही मामले भेजें जो उपर्युक्त के अन्तर्गत न आते हों।

भवदीय,

आदित्य भूषण पाण्डे,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा-3-1272/दस--3-56, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

(1) प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि, निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण परिषद्, लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव।

उदाहरण

(1) अगर पुनर्योजन पद का वेतनमान रुपये 350-15-500-20-600-25-700 है और उस पर पुनर्योजित होने वाले व्यक्ति का सेवागत अवस्था में अन्तिम पद का वेतनमान 200-400 है और वह 400 रुपया प्रतिमाह के वेतन से सेवा निवृत्त हुआ है और उसको सेवा से 100 रुपया प्रतिमाह एकल पेंशन मिलती है, और सेवा निवृत्त के समय उसकी आयु 51 वर्ष हो, पुनर्योजन पर इसका वेतन रुपया 410-100+50=रुपया 360 पर निर्धारित होगा।

(2) अगर पुनर्योजन पद का वेतन मान रुपया 350-700 है। और उसपर पुनर्योजित व्यक्ति का सेना में सेवागत अवस्था में इसी वेतन क्रम पर 700 रुपया प्रतिमाह वेतन था और उसे सेना से 150 रु० प्रतिमाह पेंशन मिलती थी और सेवा निवृत्त के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की थी, पुनर्योजन पर इस व्यक्ति का वेतन रुपया 700-150+50=600 प्रतिमाह होगा।

(3) अगर पुनर्योजन पद का वेतनमान रुपया 350-700 है और उस पर नियुक्त व्यक्ति का सेना से सेवागत अवस्था में 400-800 के वेतनमान में 800 रुपाया प्रतिमाह अन्तिम वेतन था और उसे सेना से रुपया 300 प्रतिमाह सकल पेंशन मिलती हो और सेवा निवृत्त के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की हो, तो उसे पुनर्योजन पर रुपया 700-300+50=450 प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

पी एस० यू० पी०—ए० पी० 128 सा० वित्त--8-12-77--2740--1977--8,000 (हि०)।